SHIV SHAKTI

International Journal in Multidisciplinary and Academic Research (SSIJMAR)

Vol. 11, No. 3, June 2023 (ISSN 2278 – 5973)

लोकतंत्र में मतदान व्यवहार का महत्त्व

हेमेन्द्र सिंह चौहान
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान
गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय,
बांसवाड़ा (राज.)

डॉ. किरन पूनिया
सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान
श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय
बांसवाड़ा (राज.)

सारांश

लोकतांत्रिक प्रणाली को जो स्वरूप आज हमारे सामने है वह मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही स्वरूप है। जिसमें निर्वाचन के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और ये प्रतिनिधि जनता के नाम से जनता पर शासन चलाते हैं। शासन की गुणवत्ता, निर्णय, दूरदर्शिता – ये सब इन्हीं जनप्रतिनिधियों की योग्यता, गुणवत्ता, चरित्र पर निर्भर करती है। यहाँ से ही चुनाव/मतदान व्यवहार का महत्त्व सामने आता है। चुनाव की विविध पद्धतियां विकसित की जा चुकी है। इन सबके मूल में एक ही भावना रहती है कि जनता के विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके और इन सबके पीछे सबसे निर्णायक तत्त्व मतदान व्यवहार है जो कि भारतीय या किसी भी लोकतंत्र के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाता है।

मुख्य शब्द : मतदान, लोकतंत्र, निर्वाचन, पद्धति, प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधि

परिचय

चुनाव प्रणाली के साथ–साथ मतदान व्यवहार का अपना अलग ही महत्त्व है क्योंकि कोई भी चुनाव प्रणाली चाहे कितनी ही उचित क्यों न हो यदि जनता का मतदान व्यवहार ठीक नहीं है तो इसके उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों की जटिल भूमिका को मतदाओं के मतदान व्यवहार पर ही स्पष्ट करना सम्भव होने के कारण, मतदान व्यवहार का अध्ययन अत्यधिक लोकप्रिय होने लगे है। शास्त्रीय उदारवादी दृष्टि से देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि बुद्धिमान निर्वाचक को अपने आर्थिक हित, राष्ट्र हित, अपने विश्वासों तथा राजनीतिक मूल्यों के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। उसे कई उम्मीदवारों के प्रतियोगी कार्यक्रमों में से एक का चुनाव करते समय न केवल अपने हितों का ही ध्यान रखना चाहिए वरन् सम्पूर्ण समाज व्यवस्था की एकता, ठोसता, विकास और परिवर्तन का भी आधार रखना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मतदाता को वोट देते समय अपना हित ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि सम्पूर्ण समाज के सन्दर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। परन्तु मतदान आचरण का यह दृष्टिकोण तथ्यों द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सकता। एलेन बाल का अभिमत है कि विकसित व स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल मतदाताओं के मतदान आचरण के प्रमुख नियामक माने जाते रहे हैं। इतना ही नहीं मतदाता अपने परिवारों से दल निष्ठाएं विरासत में पाते हैं। भारत ने आधुनिक युग में लोकतंत्र के आदर्श को ग्रहण किया है। यह देश अपनी पुरानी परम्परा और विविधता को बनाये रखते हुए आधुनिक युग की अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील है। भारतीय समाज व्यवस्था अभी तक जटिल और रूढ़िग्रस्त है जिसमें आधुनिक ढंग की राज व्यवस्था को अपनाया गया है। फलस्वरूप परिवर्तन और सामंजस्य या अनुकूलन की समस्याएं उत्पन्न हुयी हैं। इसके समाधान के लिये भारत में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित की गयी हैं। आधुनिक राज व्यवस्था का

पुरानी परम्पराओं से सामंजस्य बैठाया जा रहा है। राज्य के हित को ऊपर रखकर व्यक्ति के हित को कुचलने के बजाय व्यक्ति के हित का राज्य के हित से सामंजस्य किया जा रहा है। राजनेता जनता को समझाकर उसे ले चलने का प्रयास करते हैं। देश की राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक प्राचीन और विविधतापूर्ण समाज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अधिकार सत्ता पर किसी अभिजात वर्ग या समिति शासक वर्ग का एकाधिकार नहीं है। नए–नए तत्त्वों को सत्ता में भाग लेने का मौका दिया जाता है। सारे समाज को अधिकार का भागीदार बनाने की कोशिश की जाती है।

आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन सम्बंधी निर्णय राजनीतिक वाद–विवाद तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किये जाते हैं। सामाजिक वर्गों और राजनीतिक दलों में सम्बंध सूत्रों का विकास हुआ है। पुराने सामाजिक मतभेदों में राजनीतिक रूप धारण किया है और पद–प्रतिष्ठा के नए–नए मानदण्ड स्थापित होते जा रहे हैं।

दल निष्ठा को ध्यान में रखकर मतदान आचरण को समझने में सरलता के साथ–साथ तथ्यता भी दिखाई देती है। राजनीतिक दल ही चुनाव उम्मीदवार प्रस्तुत करते हैं। चुनाव प्रचार भी दलीय कार्यक्रमों के इर्द–गिर्द होता है। सामान्यतया मतदान राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रतियोगी कार्यक्रमों में से एक का चयन भी बहुत कुछ दल निष्ठा के आधार पर ही करता हुआ प्रतीत होता है। राजनीतिक दल जनतांत्रिक सरकार की कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य है। वस्तुतः वे वह प्रेरक शक्ति देते है जो प्रशासन यन्त्र को गतिशील बनाए रहती है। मैकाइवर का कहना है कि राजनीतिक दलों के बिना "सिद्धान्त का एक सा विवरण नीति का व्यवस्थित विकास, संसदीय चुनावों की वैधानिक विधि का नियमन नहीं हो सकता और न ही किसी प्रकार की स्वीकृत संस्थाएं हो सकती है, जिनके द्वारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है या उसे स्थिर रखना चाहता है।"

चुनाव व्यवस्था के अन्तर्गत मतदान व्यवहार का विशिष्ट महत्व है। मतदाता किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होता है इसलिए राजनीतिक दलों की विवेचना प्रासंगिक है। राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचन व्यवस्था में एक अहंम भूमिका निभायी जाती है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनना, निर्वाचन आन्दोलन की योजना बनाना और क्रियान्वित करना, दल शक्ति व दल अनुशासन को स्थिर रखना, दीर्घकालिक नीतियों और अल्पकालिक कार्यक्रमों, प्रचार आन्दोलन अनुसंधान और निर्वाचकों के राजनीतिक शिक्षण की व्यवस्था करना। राजनीतिक दल निर्वाचनों में भाग लेते हैं और इस प्रकार सामान्य इच्छा के निर्माण तथा अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। एक राजनीतिक दल एक संगठित इकाई है, जो समान सोचने वाले पुरुषों और स्त्रियों को एक निश्चित कार्यक्रम का समर्थन करने तथा उस पर साहसपूर्वक आचरण करने योग्य बनाता है। फलस्वरूप, यह मतदाताओं के समक्ष अपना कार्यक्रम रखकर नीति विषय महत्त्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनका समर्थन प्राप्त करके अव्यवस्था में से व्यवस्था उत्पन्न करता है। यह निर्वाचनों की योजना बनाता है, उनमें भाग लेता है और उन्हें जीतने की चेष्टा करता है। निर्वाचन को जीतने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल को मतदाताओं की बहुसंख्या का समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए निर्वाचक मण्डल को शिक्षित करने तथा लोकतंत्र को ढालने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम निर्वाचकों के समक्ष रखते हैं और उस कार्यक्रम को पूर्ण कराने के उद्देश्य से वे अपने कुछ प्रतिनिधियों को निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में खड़ा करते है और निर्वाचको से आशा करते है कि वे प्रत्याशियों को निर्वाचित करके विधान मण्डलों में भेजे। राजनीतिक दल उन समस्याओं पर अपना कार्यक्रम प्रकाशित कराते हैं, जिनसे सभी लोग प्रभावित होते हैं और वे उन समस्याओं के लिए अपना समाधान सुझाते हैं। वे दीर्घावधि की नीतियां बनाते हैं और अल्पावधि के कार्यक्रम तैयार करते हैं तथा उनका और सर्वसाधारण का समर्थन आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं।

राजनीतिक दल को जब कभी सरकार निर्माण का अवसर मिलता है, तो वह अपनी प्रचारित नीति को सक्रिय रूप प्रदान करता है।

मतदान आचरण में आधारभूत बात मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता है। वे कितनी राजनीतिक समझ रखते हैं, राजनीति में कितनी रूचि लेते हैं और राजनीतिक सहभागिता के लिए कहाँ तक आगे बढ़ सकते है, यह सब अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों की इन सबमें महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसे नकारा नहीं जा सकता, पर सब कुछ राजनीतिक दल द्वारा नियमित होता हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। अतः यह विचार सही नहीं है कि निर्वाचकों के विशाल बहुमत का चुनाव आचरण स्थिर होता है और चुनाव अपेक्षाकृत छोटे, कम जानकारी रखने वाले और उदासीन अल्पसंख्यकों द्वारा तय होते हैं। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि मतदान आचरण में अस्थिरता का तत्त्व कहीं अधिक बड़ा है। दल पद्धति के कारण ही निर्वाचन आसान और सम्भव हो जाते हैं और विधायी उत्कृष्टता का सम्वर्द्धन होता है। इससे निरंकुशवाद की प्रवृत्ति पर रोक लगती है सम्भव सार्वजनिक मत की सीमाओं के भीतर कार्यक्रम सहित विरोधी दल का अस्तित्व न केवल एक निरंकुश शासक बल्कि व्यवहारिक राजनीतिक बहुमत के अत्याचार के खिलाफ एक फौलादी दीवार है।

संगठित गुटों और राजनीतिक प्रक्रिया के अधीन कई अन्य क्षेत्र भी आते हैं – निर्वाचन विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, न्यायपालिका और जनमत। हितबद्ध गुटों के निर्वाचनों का प्राथमिक महत्त्व होता है कि अपने 'चहेते' व्यक्तियों को प्रशासनिक व्यवस्था के अभिकरणों में पहुँचा सके। सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में इस स्पष्ट कारण से उनका हित होता है कि सरकारी व्यवस्था में उच्च पदों पर जो व्यक्ति आसीन होते हैं, वे ऐसी नीतियों का निर्धारण और निर्णयों का निर्माण करते हैं जो अंत में विभिन्न मात्राओं में उनके हितों को प्रभवित करते हैं। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि चुने हुए लोगों को शामिल किया जाए और क्योंकि निर्वाचन के माध्यमों से उच्चताप पदों को भरने का अवसर मुक्त रूप से

प्राप्त होते हैं, इसलिए हितबद्ध समूह अपेक्षित प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करते हैं। अतः निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर धवन्दी की राजनीति अपना खुला प्रदर्शन करती है।

मतदान व्यवहार का महत्त्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि इससे मतदाताओं के मध्य राजनीतिक सोच का गतिशीलता से विकास होता है। वे राजनीतिक निर्णयों नियमों व सिद्धान्तों की जानकारी के लिए क्रमिक व निश्चित दिशा में जागरूक तथा प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। राजनीतिक जागरूकता का राजनीतिक जानकारी या अभिज्ञान से सीधा सम्बंध है तथा राजनीतिक जानकारी राजनीतिक संचार पर आश्रित है। सम्प्रेषण अथवा संचार शब्द मानव व्यवहार के प्रति कई सम–सामयिक उपागमों की बुनियादी संकल्पनाओं की ओर निर्देश करता है। जिसमें राष्ट्र–राज्यों की अन्तःक्रिया भी शामिल है। अधिकांश मतदाता सार्वजनिक मामलों में रूचि नहीं रखते हैं। मतदान के समय को छोड़कर वे प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया से अलग रहते हैं तथा उनका राजनीतिक ज्ञान भी बहुत कम होता है। ऐसे राजनीतिक समाज में मतदान आचरण को समझना और भी कठिन होता है। यहाँ दल निष्ठा का उसी अनुपात में अभाव पाया जाता है जिस अनुपात में राजनीतिक जानकारी का है। अतः यहाँ मतदान आचरण दलीय निष्टा के आधार पर समझना सम्भव नहीं हो पाता है। कहीं–कहीं यह भी देखा गया है कि अधिक राजनीतिक जागरूकता या राजनीतिक जानकारी भी मतदाताओं को मतदान में उदासीन बना देती है। ऐसे मतदाता यंत्रवत ही मत देते रहते हैं।

मतदान व्यवहार से सम्बद्ध एक दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय मतदाता में राजनीतिक जागरूकता का स्तर क्या है? इस सम्बंध में यदि हम इस बात को ध्यान में रखकर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें कि भारत में साक्षरता की स्थिति बहुत निम्न है तथा साक्षरता के विकास की दर भी बहुत अधिक सन्तोषप्रद नहीं है तो अधिक निराशा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सन्दर्भ में किये गये एक अध्ययन में योगेश अटल ने लिखा है कि 1967 के चुनाव

मे 63 प्रतिशत लोगों को यह भी पता नहीं था कि उनका निर्वाचन केन्द्र कहाँ है। इसी प्रकार लोगों को अपने विधानसभायी प्रत्याशियों के नामों की भी ढंग से जानकारी नहीं थी। यदि वे संसदीय प्रत्याशियों के नाम से परिचित थे, तो ऐसा केवल उन प्रत्याशियों की वैयक्तिक लोकप्रियता के कारण था, उनमें उनके राजनीतिक दलों की कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। इसी प्रकार सिरसीकर ने पूना के सन्दर्भ में 1962 के चुनावों का उल्लेख करते हुए अपने एक अध्ययन में लिखा है कि 33 प्रतिशत से अधिक लोगों को यह पता नहीं था कि देश के समक्ष कौन सी राजनीतिक समस्याएं है तथा लगभग 25 प्रतिशत मतदाता प्रत्याशियों के नामों से अनभिज्ञ थे। उन्हें यदि उनके नाम मालूम थे तो उन्हें यह पता नहीं था कि ये कौन सी व्यवस्थापिका के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

मताधिकार के व्यापक महत्त्व के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है मतदान का अधिकार प्राप्त होने के कारण ही एक नागरिक विदेशी से पृथक होता है। मतदान की प्रेरक शक्ति समाज में राजनीतिक सहभागिता, न्यायपूर्ण संगठनों, कर्त्तव्यबोध, राष्ट्रप्रेम तथा व्यापक जनाधार के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाती है। मतदान राजनीतिक सहभागिता का सशक्त माध्यम तथा शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का जनता का शक्तिशाली अस्त्र है। मतदान के अधिकार के कारण शासन कार्य में जनता की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो पायी है।

निष्कर्षतः मतदान व्यवहार के अध्ययन का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत अधिक महत्त्व है। इस प्रकार के अध्ययन इसी कारण आधुनिक युग बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। पहले ये अध्ययन अमेरिका में प्रारम्भ हुए उसके बाद इस प्रकार के अध्ययनों का विस्तार दो रूप में हुआ और इस प्रकार अध्ययनों का प्रसार सारे विश्व में हुआ है। मतदान व्यवहार के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर न केवल जनतंत्र में संचालित पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन किए गए हैं बल्कि नए–नए सिद्धांतों एवं उप–सिद्धांतों की रचना की गयी है।

संदर्भ :

1. सी.ई.एन.जोड़ : प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, पृ. 7–8
2. लीकॉक : एलीमेंट्स ऑफ पोलिटिकल साईंस, 1929, पृ. 209–210
3. आर.एन. गिलक्राइस्ट : प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल साईंस, 1964, पृ. 54
4. बी.एन. सिरसीकर : पालिटिकल बीहेवियर इन इण्डिया, 1965, पृ. 250
5. रजनी कोठारी : भारत में राजनीति – कल और आज, वाणी प्रकाशन
6. रजनी कोठारी : कास्ट पोलिटिक्स इन इण्डिया, ओरिएंट लॉंगमैन, दिल्ली, 1970, पृ. 70
7. भालचंद गोस्वामी : भारत में चुनाव सुधार : दशा और दिशा, प्वाइंटर पब्लिकेशंस हाउस, नई दिल्ली, 1997, पृ. 68
8. मिथलेस कुसारी : भारत में चुनाव और मतदान व्यवहार, शृंखला – एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, वोल्यूम 05, इश्यू 4 दिसम्बर, 2017
9. संजयकुमार : भारत में मतदान व्यवहार – अध्ययन का इतिहास और उभरती चुनौतियां प्रतिमान, 2013, पृ. 321–45
10. श्रीमती कल्पना वैश्य : भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार, नवभारत टाइम्स प्रकाशन, 1974